

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल कॉम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ, / वाराणसी / मेरठ / बहराईच / बुलन्दशहर /
इटावा / लखीमपुर खीरी।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36-4 / 2013-14 / 2167-7 दिनांक: 12.02.2013
विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत स्थापित की गयी एस0एन0सी0यू0 को
क्रियाशील बनाये रखने के सम्बंध में।

महोदया,

कृपया पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एस.एन.सी.यू. / 36-3 / 2012-13 / 3152-7 दिनांक: 15.02.2013 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से जनपदों के महिला चिकित्सालयों में "गंभीर नवजात शिशु उपचार इकाई" (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना कर क्रियाशील किया जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

Districts wise Funds for SNCUs							
S.No. Distt.	Name of Districts	Operational Cost	Human Resource				Total funds (Rs. in lac)
			Ped./DCH		Staff Nurses		
			No.	Amt. @ Rs.48,000/-pm for 6 months	No.	Amt. @ Rs.16,500/-pm for 6 months	
FMR Code No.	A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bahraich	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
9	Buland Shahar	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
10	Etawah	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
11	Varanasi	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
15	Lakhimpur Khiri	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
18	Lko Jhalkari Bai	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
20	Meerut DWH	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
Total		35.00	21	60.48	42	41.58	137.06

वित्त पोषण

सर्वप्रथम अवगत कराना है कि विगत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के लिये जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी उसके अनुसार उपर्युक्त प्रत्येक जनपद को रू0 12,02,000.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी थी तथा विस्तृत दिशा निर्देश

उपलब्ध कराये गये थे। चूँकि जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिकाओं द्वारा समुचित प्रयास न करने तथा समय से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति न उपलब्ध कराये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा धनराशि में सर्शत कटौती की गयी है। कुछ जनपदों में मानव संसाधन का चयन कर अन्य कार्य लिया जा रहा है जो वित्तीय नियमों के विरुद्ध है (एस0एन0सी0यू0 क्रियाशील नहीं किया गया है भौतिक प्रगति राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई गयी है) इसके लिये कार्यादेश देने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वर्ष 2013-14 के लिये दी गयी तालिका के कॉलम सं0 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा आपरेशनल कॉस्ट में ए0एम0सी0 एवं औषधियों, कन्स्यूमेबिल हेतु कुल रू0 5.00 लाख प्रति इकाई धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्राप्त आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु मद सख्यां **A.8.1.3.5.d** में बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय में रू0 48,000/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिये (केवल एम0डी0-पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0 पर लागू होगा, अन्य किसी विशेषज्ञता के चिकित्सक के लिये नहीं है) मद सख्यां **A.8.1.1.2.f** में 6 स्टाफ नर्सों के मानदेय में रू0 16,500/- प्रतिमाह की दर 6 माह के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

माह सितम्बर के उपरान्त एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता एवं संविदा पर तैनात कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जायेगी तदनुसार भारत सरकार से द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की माँग की जायेगी। भारत सरकार स्तर से द्वितीय किस्त स्वीकृत होने के उपरान्त जनपदवार इकाईयों को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिला महिला चिकित्सालय को एस0एन0सी0यू0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, विगत वर्ष के व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि **Unspent** के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोट:-

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2013-14 में प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स का अनुमोदन प्रदान किया है। प्रथम चरण में 6 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किये जा रहे हैं।
4. जनपद की इकाई के परफॉरमेंस एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 से अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की आवश्यकता के लिये लिये माँग करने पर, भारत सरकार से स्वीकृत पद की सीमा तक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
5. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

मानव संसाधन

1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।
2. संविदा कर्मियों स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को 4 दिन का फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर प्रशिक्षण तदोपरान्त 15 दिन का कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं

पीडियाट्रीशियन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रैस में कार्य करें।
4. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2013-14 में Rational Deployment of Human resource पर विशेष बल दिया है। जिन जनपदों में एस0एन0सी0यू0 के मानक, 12 शैयाओं (Baby Warmer) के सापेक्ष कम बेबी वार्मर हैं तो जब तक 12 शैयाओं (Functional Baby Warmer) नहीं स्थापित हो जाते तब तक 4 शैयाओं (Baby Warmer) पर 1 पीडियाट्रीशियन एवं 3 स्टाफनर्स तथा 8 शैयाओं (Baby Warmer) पर 2 पीडियाट्रीशियन एवं 6 स्टाफनर्स एवं 12-14 शैयाओं (Functional Baby Warmer) हेतु 3 पीडियाट्रीशियन एवं 6 स्टाफनर्स को ही कार्य हेतु संविदा पर रखा जाय।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अधीक्षिका महिला चिकित्सालय की होगी इस हेतु विभागीय इंजीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित नवीन प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार.

भवदीय,


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

दिनांक: .07.2013

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36-4 / 2013-14 /

प्रतिलिपि समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / बहराईच / बुलन्दशहर / इटावा / लखीमपुर खीरी।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / कानपुर / देवीपाटन।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, झालकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ बहराईच / बुलन्दशहर / इटावा / लखीमपुर खीरी।
5. सम्बन्धित मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई।
6. वित्त नियंत्रक-राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(डा० काजल)

अपर मिशन निदेशक

Report of Sick Newborn Care Unit (SNCU) in Uttar Pradesh

Reporting Format of SNCU DWH/Medical College

Name of District/Medical College		Reporting month	
Since when SNCU is functional (month/year)			
No. of beds		Bed occupancy rate	
1	Total No. of Doctors working	Doctors - Regular	Doctors - Contractual
2	Total No. of Staff Nurses working	Staff Nurses - Regular	Staff Nurses - Contractual
3	Whether required medicines and consumables are available?	Yes/No	

Details of Newborn		Information regarding children admitted in SNCU												Morbidity Profile																									
		Admission in the Unit		Birth weight / weight at admission**				Gestation		Other causes of respiratory distress				HIE / Moderate-Severe Birth Asphyxia		Sepsis/ Pneumonia/Meningitis		Major Congenital Malformation		Jaundice requiring phototherapy		Hypothermia		Hypoglycemia		Others													
Response Category	Type of Admission	Male	Female	>2500 gm	1500-2499 gm	1000-1499 gm	<1000 gm	>37 weeks	34-37 weeks	<34 weeks	Respiratory Distress syndrome	Meconium aspiration syndrome	Other causes of respiratory distress	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn								
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Reporting Month																																							
Progressive																																							

Details of Newborn		Birth weight / weight at admission ** (Inborn - Record the birth weight/ Extra-mural - Record birth weight if available; if it is not available, record and report weight at admission)																					
		Management (no. of babies who received)						Outcome						Duration of stay									
Response Category	Type of Admission	Phototherapy		Antibiotics		Oxygen		Discharge		Referral		LAMA		Died		< 1 day		1-3 day		4-7 day		> 7 days	
		Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn
40		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Reporting Month																							
Progressive																							

Report of Sick Newborn Care Unit (SNCU) in Uttar Pradesh

4	Whether these equipment are functional?	Yes - 1, No - 0
i	Servo controlled Radiant Warmers	i
ii	Pulse Oxymeter with neonatal probe	
iii	Double outlet oxygen concentrator	
iv	Phototherapy units	
v	Syringe infusion pump	
vi	Pediatric stethoscope	
vii	Resuscitator	

Death information	Duration between the time of admission & death												Age at death																		
	< 1 day		1-3 day		4-7 day		> 7 days		< 1 day		1-6 days		≥ 7 days																		
Response Category	Morbidity Profile (Cause of death)																														
	Respiratory Distress syndrome		Meconium aspiration syndrome		HIE / Moderate-Severe Birth Asphyxia		Sepsis/ Pneumonia/ Meningitis		Major Congenital Malformation		Prematurity		Others		Cause not established																
Type of Admission	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn													
63		64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
Reporting Month																															
Progressive																															

Death information	Birth weight / weight at the time of death																													
	Gestation				> 2500 gm				1500-2499 gm				1000-1499 gm				< 1000 gm													
Response Category	Term				Preterm				Post term																					
	Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn							
94		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108															
Reporting Month																														
Progressive																														

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल कॉम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / बहराईच / बुलन्दशहर /
इटावा / लखीमपुर खीरी।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36-4 / 2013-14 /

दिनांक: 07.2013

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत स्थापित की गयी एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के सम्बंध में।

महोदया,

कृपया पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एस.एन.सी.यू. / 36-3 / 2012-13 / 3152-7 दिनांक: 15.02. 2013 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से जनपदों के महिला चिकित्सालयों में "गंभीर नवजात शिशु उपचार इकाई" (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना कर क्रियाशील किया जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

Districts wise Funds for SNCUs							
S.No. Distt.	Name of Districts	Operational Cost	Human Resource				Total funds (Rs. in lac)
			Ped./DCH		Staff Nurses		
			No.	Amt. @ Rs.48,000/-pm for 6 months	No.	Amt. @ Rs.16,500/-pm for 6 months	
FMR Code No.	A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bahraich	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
9	Buland Shahr	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
10	Etawah	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
11	Varanasi	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
15	Lakhimpur Khiri	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
18	Lko Jhalkari Bai	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
20	Meerut DWH	5.00	3	8.64	6	5.94	19.58
Total		35.00	21	60.48	42	41.58	137.06

वित्त पोषण

सर्वप्रथम अवगत कराना है कि विगत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के लिये जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी उसके अनुसार उपर्युक्त प्रत्येक जनपद को रू0 12,02,000.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी थी तथा विस्तृत दिशा निर्देश

उपलब्ध कराये गये थे। चूँकि जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिकाओं द्वारा समुचित प्रयास न करने तथा समय से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति न उपलब्ध कराये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा धनराशि में सर्शत कटौती की गयी है। कुछ जनपदों में मानव संसाधन का चयन कर अन्य कार्य लिया जा रहा है जो वित्तीय नियमों के विरुद्ध है (एस0एन0सी0यू0 क्रियाशील नहीं किया गया है भौतिक प्रगति राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई गयी है) इसके लिये कार्यादेश देने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वर्ष 2013-14 के लिये दी गयी तालिका के कॉलम सं0 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा आपरेशनल कॉस्ट में ए0एम0सी0 एवं औषधियों, कन्स्यूमेबिल हेतु कुल रू0 5.00 लाख प्रति इकाई धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्राप्त आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु मद सख्यां A.8.1.3.5.d में बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय में रू0 48,000/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिये (केवल एम0डी0-पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0 पर लागू होगा, अन्य किसी विशेषज्ञता के चिकित्सक के लिये नहीं है) मद सख्यां A.8.1.1.2.f में 6 स्टाफ नर्सों के मानदेय में रू0 16,500/- प्रतिमाह की दर 6 माह के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

माह सितम्बर के उपरान्त एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता एवं संविदा पर तैनात कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जायेगी तदनुसार भारत सरकार से द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की माँग की जायेगी। भारत सरकार स्तर से द्वितीय किस्त स्वीकृत होने के उपरान्त जनपदवार इकाईयों को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिला महिला चिकित्सालय को एस0एन0सी0यू0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, विगत वर्ष के व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोट:-

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2013-14 में प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स का अनुमोदन प्रदान किया है। प्रथम चरण में 6 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किये जा रहे हैं।
4. जनपद की इकाई के परफॉरमेन्स एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 से अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की आवश्यकता के लिये लिये मांग करने पर, भारत सरकार से स्वीकृत पद की सीमा तक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
5. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

मानव संसाधन

1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।
2. संविदा कर्मियों स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को 4 दिन का फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर प्रशिक्षण तदोपरान्त 15 दिन का कलावती सरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं

पीडियाट्रीशियन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।
4. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2013-14 में Rational Deployment of Human resource पर विशेष बल दिया है। जिन जनपदों में एस0एन0सी0यू0 के मानक, 12 शैयाओं (Baby Warmer) के सापेक्ष कम बेबी वार्मर हैं तो जब तक 12 शैयाओं (Functional Baby Warmer) नहीं स्थापित हो जाते तब तक 4 शैयाओं (Baby Warmer) पर 1 पीडियाट्रीशियन एवं 3 स्टाफनर्स तथा 8 शैयाओं (Baby Warmer) पर 2 पीडियाट्रीशियन एवं 6 स्टाफनर्स एवं 12-14 शैयाओं (Functional Baby Warmer) हेतु 3 पीडियाट्रीशियन एवं 6 स्टाफनर्स को ही कार्य हेतु संविदा पर रखा जाय।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अधीक्षिका महिला चिकित्सालय की होगी इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित नवीन प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार.

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36-4/2013-14/12/167-7-6 दिनांक: 12.07.2013
प्रतिलिपि समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/बहराईच/बुलन्दशहर/इटावा/लखीमपुर खीरी।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कानपुर/देवीपाटन।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ बहराईच/बुलन्दशहर/इटावा/लखीमपुर खीरी।
5. सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई।
6. वित्त नियंत्रक-राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(12/8)
(डॉ० काजल)

अपर मिशन निदेशक